

रजिस्टर्ड
स्टीड पोस्ट द्वारा
विशेष संदातक द्वारा

(भारत के राजपत्र के भाग-I, खंड-II में प्रकाशनार्थी)

संख्या 13013/2/2009-अ.भा.से.(I)/भाग

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पैशल मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

* * *

अधिसूचना

भारत सरकार की दिनांक 18 जनवरी, 2010 की अधिसूचना संख्या 13013/2/2009-अ.भा.से.(I) का अधिकरण करते हुए, केन्द्रीय सरकार, भारतीय प्रशासनिक सेवा (संघर्ण) लियमावली, 1954 के नियम 5 के उप नियम (I) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री तम्बोली अर्याज फकीरभाई का, भारतीय प्रशासनिक सेवा के नागालैण्ड संघर्ण से भारतीय प्रशासनिक सेवा के छत्तीसगढ़ संघर्ण में आवटिज घरती है।

(नरेन्द्र गौतम)

अवर सचिव, भारत सरकार

दूरभाष : 23093063

सेवा में

प्रबंधक,
भारत सरकार मुद्रणालय,
फरीदाबाद (हरियाणा).

संख्या 13013/2/2009-अ.भा.से.(I)/भाग

लई दिनांक 29.01.2011

आवश्यक कार्रवाई के लिए प्रति अन्येषित :-

- i) मुख्य सचिव, नागालैण्ड सरकार, कोहिमा को इस अनुरोध के साथ कि वे नागालैण्ड संघर्ण से अधिकारी को कार्यभार मुक्त करें।
- ii) मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ सरकार, रायपुर।
- iii) महालेखाकार, नागालैण्ड, कोहिमा।
- iv) महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर।

(नरेन्द्र गौतम)

अवर सचिव, भारत सरकार

दूरभाष : 23093063

आतंरिक वितरण

ए.आई.एस.(II), ए.आई.एस.(III)/आर.ओ.(सीएम)/ई.ओ.(एस.एम-1)/एन.आई.सी. (अधिसूचना को कार्यालय के पैब्साइट में देने के लिए)